(24)

समक्ष माननीय वोर्ड ऑफ रेवेन्यू म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /04 द्वितीय अपील – 1675-II/2004

श्री एम० एम० कुरैशी अभि० द्वारा आज दि० 22/12/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
22 DEC 2004

1. लालाराम पुत्र रामनारायण
2. अमानो वेवा रामचरण, जाति–प्रजापति (कुमहार), निवासी–ग्राम कमनपुर, तेह0 मेहगॉव, जिला भिण्ड (म0प्र0)

——— निगरानीकर्ता

बनाम

1. माधोसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
2. परवत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, जाति–ठाकुर, निवासी–ग्राम कमनपुरा, तहे0 मेहगॉव, जिला भिण्ड म0प्र0

———— अनावेदकगण

द्वितीय अपील आधीन धारा 44(2) एम0पी0एल0आर0पी0 वनारजी आदेश दिनांक 30.09.04 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना म0प्र0

82–2003–2004 अपील

माननीय महोदय,

अपील मेमो निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, ग्राम–कमनपुरा, तेहसील–मेहगॉव जिला भिण्ड में कृषि आराजी 70 रकवा 0.982 हेक्टर निगरानीकर्ता लालाराम एवं अमानों के भू–स्वामित्व की स्थित है। वन्दोवस्त होने के उपरांत पुराने नं. 70 रकवा 0.982 हेक्टर के स्थान पर नवीन सर्वे नं. 78, 79 कर दिये गये है, लेकिन उसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया है।

Advocate 22/12/04

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(18)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1675–दो/04

जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–04–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 17–02–2011 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–04–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 17–02–11 से 03–04–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–04–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2004 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	